(5) 359

राजस्थान सरकार
कृषि विपणन निदेशालय,जयपुर

क्रमांकः प.4(48)निकृवि / नियमन / तृ.संशो. / 05 / 1035-1207 दिनांकः 20-8-9

आदेश

राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 19 की उपधारा 9(ए) में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में मण्डी समिति निधि में से राज्य में सूखे एवं अकाल की स्थिति को देखते हुए प्रति वर्ष मण्डी शुल्क से प्राप्त आय की 5 प्रतिशत राशि राज्य में पंजीकृत गोशालाओं के रखरखाव, पशुओं के चारे एवं पानी के लिए आरक्षित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संबंधित जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि जो उपखण्ड अधिकारी से कम स्तर का न हो, सचिव मण्डी समिति एवं मण्डी समिति में कार्यरत लेखाकर्मी / लेखाकर्मी न होने की स्थिति में जिला कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी का प्रतिनिधि की अनुशंषा पर निदेशक,कृषि विपणन विभाग जयपुर से अनुमोदन पश्चात राशि संबंधित पंजीकृत गोशाला को उक्त प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराई जावेगी।

उक्त आदेश राज्य सरकार के अनुमोदनापरान्त जारी किये जाते है।

निदेशक एवं
पदेन उप शासन सचिव
कृषि विपणन

क्रमांकः प.4(48)निकृवि / नियमन / तृ.संशो. / 05 / 1035-1207 दिनांकः 20-8-09

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ठ सहायक, मा. कृषि विपणन राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार,जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, कृषि, शासन सचिवालय,जयपुर।
3. समस्त जिला कलक्टर,राजस्थान।
4. उप शासन सचिव, कृषि (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय,जयपुर ।
5. मुख्यलेखाधिकारी, कृषि विपणन निदेशालय,जयपुर।
6. उपनिदेशक (सांख्यिकी), कृषि विपणन निदेशालय,जयपुर।
7. क्षेत्रीय उप / सहायक निदेशक,कृषि विपणन विभाग, खण्ड समस्त।
8. समस्त कृषि उपज मण्डी समितियाँ - — -

निदेशक एवं
पदेन उप शासन सचिव
कृषि विपणन

E:\Allot\secy1808.doc